



OFFICE OF THE DIR (Plg.)
 PR/TC, D.D.A. N. DELHI-2
 By No. 3019
 Dated 14/5

107

Suggestion Submitted to moderator

दिल्ली विकास प्राधिकरण
 DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

मुख्य योजना -2021 की समीक्षा
 Master Plan Review-2021

पंजीकरण फार्म
 REGISTRATION FORM

“ओपन हाउस मीट्स”
 “OPEN HOUSE MEETS”

Zone: N1.

फार्म प्रतिभागी द्वारा भरा जाए
 Form to be filled by Participant

नाम Name	Jangar kumar.
प्रतिनिधि : Representing : सरकारी विभाग / फेडरेशन / संघ (एसोसिएशन) / आर डब्लू ए / व्यक्तिगत Government Department/ Federation/Association/RWA/ Individual	वेगनी गत मकान प्लॉट करवाने के लिए जिसमें 8 लॉटो है उस मकान में रहते हैं। आप दिन पारी बड़े परवाने बला है - फिर वह पले आते हैं। इसका लॉट नंबर 96 मकानीय - RWA.
वर्तमान स्थिति Present Position	रिजर्व
फोन : कार्यालय Phone : Office आवास Residence मोबाइल Mobile	9213 1775 12
फैक्स : Fax :	
ई-मेल E-mail	
पता : Address :	58/59 प्लॉट 13 सेक्टर 24 रोटीवा -
हस्ताक्षर : Signature :	
तिथि : Date :	15/2012

“अपने पंजीकरण फार्म ओपन हाउस मीट्स के स्थल पर जमा कराएं
 “Submit your registration form at the venue of Open House meets.”

सेवा के DDA

107

107

आधिकारिक रूप से
कार्य करता

विषय महान एलाट करने का

जिन लोगों का विधाय या काउंसलर, या M.P. मंत्री
जिन लोगों का अपना पिछा बनाते हैं उनका भी
DDA को पास करना चाहिए जिसे वे परेशान न हों
या पुलिस अदर का भी मानना चाहिए वे अपराधि-
या कोई गलत कार्य न करें कया कि वे लगन
या मेहनत के कारण किया किया है। उसे DDA का
परेशान नही करना चाहिए उसका एलाट DDA का
करना चाहिए आपने अपने काम में व्यय रहता है।

DDA का कोई फर्म निका है। तो उसके में
DDA वाले का नाम लिखा जाना चाहिए खरीदार का
अगर वे चोर है या क्लिबल है तो उसके भी
भी पुलिस या DDA या अदर सौच समझ कर
अपने देश रजिटर करे हर आदमी का बात रहना
चाहिए वे चाहे जिस तरह का भी है फैसला
करे या कोई अलग खसवा देगी कोई बात करे
50% गलत होता है। कोई भी पैसा लेने के बाद
भी गलत फैसला देती है।

DDA को जो टेक्स मिला है जो उसका
मकान (दुकान) पास कर देना चाहिए. जैसा एडिस
टेक्स या इनक टेक्स किसी भी तरह का मिला है
तो अगर पहले से टेक्स मिला है तो उसको मकान
पास कर देना चाहिए

DDA को फ्लैट 5 साल है उस मकान अनही जा रहा है तो उस मकान DDA से केंगरील कर
देना चाहिए क्यों वो बाहर रहकर अपराध कर रहा है। को फ्लैट उसके नाम कर देना चाहिए

अगर एक बार भी खाली करके के लिए

लिखित रूप में रहने वाले को डिमांड

तो उसको खाली- करा होगा।

DDA हो या प्राइवेट

संजय कुमार S/- पालिका पंडित

फोन नं 92131775 12/999933677

DDA या अन्य राज्य क्लोनी में कोई आदमी दुकान खोलता
है वो आदमी दुकान का है अपने पास परोस में जानने
के बाद भी उधारा 1 दिन या दो दिन के लिए नहीं
देता है उसे दुकान ज्यादा दिन के लिए नहीं सिर्फ एक
या दो दिन के लिए किसी काम नहीं आता है तो
उसे दुकान चैन लील कर दे. किसी भी बात को
नहीं मानना है तो अपराधी भी अपराध करके
दुकान खोलता है। S/- आदमी विमल का संख्या S/-
है दिल्ली में।